MATTERS UNDER RULE 377

(i) POWER CRISIS IN DELHI DUE TO AGITATION BY EMPLOYEES OF DESU

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Sir, may I draw the attention of the House to a very important matter of urgent public importance. Sir, there have been a series of power breakdowns in the Capital during the last few days. This has resulted in a lot of hardship to the citizens of the Capital. People are suffering a lot because of lack of electricity and also because of power breakdowns which in certain areas even go upto six hours. In this connection I quote here Shri Swarup Chand Gupta, Chairman of the Delhi Electric Supply Committee, who has said that the power breakdowns have increased considerably. Now, this has only been admitted by the government but almost nothing has been done by the government to see that power supply in Delhi is normalised.

Sir, there are about 25,000 employees of DESU who have been going on agitation for the last few weeks. Five of the employees are on hunger strike. Neither the Government at the Centre nor the Delhi Municipal Corporation are taking any steps to solve this problem and save the Delhi citizens of the power crisis. I would request the Government to do the needful in this respect.

(ii) RESTRICTIONS PROPOSED BY DDA ON DOCTOR'S CLINICS AND NURSING HOMES IN RESIDENTIAL AREAS

डा० सुशीला नायर (झांसी): आपके माध्यम से मैं हाउसिंग के मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस विषय के बारे में पहले सवाल भी पूछे गए हैं। अब मै उन से नियम 377 के अन्तर्गत एक सवाल करना चाहती हूं। डी० डी० ए० की तरफ से एक आदेश निकाला गया है कि नर्सिंग होम्ज और डाक्टरों के क्लिनिक रेजीडेंशल एरियाज में नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनको प्रासीक्यूट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। क्या यह उचित है ? उन्होंने एक जवाब में यह कहा है कि एक चौथाई हिस्सा घर का क्लिनिक के लिए रखा जा सकता है और नर्सिंग होम्ज को तो हटाना ही है। थोड़ा समय हम इसके लिये दे सकते हैं। लेकिन श्रीमन आज सवेरे भी हम सब ने सुना कि किस प्रकार से अस्पतालों में इस वक्त भीड़-भाड़ रहती है और वहां स्थान कम होने की वजह से दो-दो रोगियों को एक पलंग पर रखा जाता है। अस्पतालों की हालत बहुत खराब हो रही है। दो, दो मरीज एक बैड पर रखे जा रहे हैं, और छ: छ: बच्चे एक बैड में रखे जाते हैं। सुविधायें नहीं है। क्या उनको मालूम है कि 88 नरसिंग होम्स हैं दिल्ली में, जिनमे 15 से ले कर 50 बैड्स तक का प्रोवीजन है, सर्जरी की भी उनमें व्यवस्था है। क्लीनिक्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है और दो-दो चार-चार डाक्टरों ने मिल कर सारी डायगोनास्टिक फेसलिटीज, ऐक्सरे से ले कर पैथोलाजीकल टेस्ट्स इत्यादि की सुविधाएँ रखी हुई है। तो अगर वह रेजीडेंशियल एरियाज मे रहते हैं तो उससे लोगों को सुविधायें होती हैं। घर के पास होने से तीमारदारों को बहुत सुविधा होती है। घर मे खाना भी ले जा सकते हैं। अगर उनको बिजनेस और कमर्शियल एरियाज सें ले जाने की बात करेंगे तो वह गलत होगा। दुनिया भर में नर्सिन्ग होम्स रेजीडेंशियल एरियाज में ही होते हैं। अत: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या उनका इस आर्डर को पलटने का इरादा है ? यदि हां तो कब तक ?

(iii) WHEAT LYING IN THE OPEN IN CHANDIGARH AND OTHER CENTRES OF PUNJAB AND HARYANA

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): Sir, with your premission, I beg to raise the following matter under Rule 377.